

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राज्यपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21052025-263257
SG-DL-E-21052025-263257असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 154]
No. 154]दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2025/वैशाख 29, 1947
DELHI, MONDAY, MAY 19, 2025/VAISAKHA 29, 1947[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 56
[N. C. T. D. No. 56भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (डीओपी) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 मई, 2025

फा०सं० 11/17/एच-डीओपी/2025/393-406.—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी, एतद द्वारा श्री अखंड प्रताप सिंह, अधिवक्ता को दिल्ली पुलिस द्वारा दिनांक 25.03.2025 के अपने पत्र के माध्यम से यथा प्रस्तावित निम्नलिखित शुल्क संरचना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 379/401/468/471/120-ख/34 तथा 3/4 मकोका अधिनियम के अंतर्गत ई-एफआईआर सं० 016133/2024, पुलिस स्टेशन नांगलोई, दिल्ली (अपराध शाखा द्वारा जांच) के मामले में माननीय परीक्षण न्यायालय के साथ-साथ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए 'विशेष लोक अभियोजक' के रूप में नियुक्त करते हैं—

कार्य का विवरण	प्रस्तावित शुल्क
उपस्थिति शुल्क	रुपये 40,000/-
सम्मेलन/परामर्श शुल्क	रुपये 15,000/-
प्रारूपण याचिका	रुपये 15,000/-

लिपिकीय	कुल बिल राशि का 10 प्रतिशत
---------	----------------------------

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
यमा पाल, उप-सचिव (गृह-डीओपी)

HOME (DOP) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th May, 2025

F. No. 11/17/H-DOP/2025/393-406.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, the Competent Authority is pleased to appoint Sh. Akhand Pratap Singh, Advocate as Special Public Prosecutor to represent the state before Lt. Trial Court as well as Hon'ble High Court of Delhi in case e- FIR No. 016133/2024 u/s 379/401/468/471/120-B/34 IPC and 3/4 MCOC Act, , P.S. Nanglooi, Delhi (investigated by Crime Branch),Delhi on the following fee structure as proposed by Delhi Police vide their letter dated 25.03.2025:-

Detail of work	Proposed fee
Appearance fee	Rs. 40,000/-
Conference/consultation fee	Rs. 15,000/-
Drafting Petition	Rs. 15,000/-
Clerkage	10% of total bill amount

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and In the Name of The Lt. Governor
of The National Capital Territory of Delhi,

YASH PAL, Dy. Secy. (Home-DOP)